have explained how the police of the Sultanate of Omman has been threatening the Indian labourers and getting work from them at gun-point. Mostly our workers are working in construction works or with engineering firms which have branches all over the Middle East. Recently one woman was beaten up and she was put in the plane in an unconscious state. She has been admitted to a hospital in Bombay and she has explained how they are misbehaving with the Indian labourers. Those labourers are going there through our Indian agencies. When these agencies send those labourers abroad, they promise them a salary of 65 Riyals per month.

But ultimately they get hardly 30 to 25 Riyals per month, that too after working for 11 to 12 hours a day. Sir, the Indian Ambassador there visited that camp but no action has been taken. They have sent telegrams and telex messages to India, to our President and Prime Minister also. Many labourers are reportedly falling unconscious due to lack of food and medicine. Sir, my request to the concerned Minister through you is that he should see to it that the agencies which are sending these labourers to other countries look after them properly and if any agency cannot properly look after the labourers, then the agency should be stopped immediately. Thank you, Sir.

THE INDIAN VETERINARY COUNCIL BILL, 1981

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now let us take up the Bills for consideration and passing.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to regulate veterinary practice and to provide, for that purpose, for the establishment of a Veterinary Council of India and State Veterinary Councils and the maintenance of registers of the veterinary practitioners and for matters connected therewith, as reported by the Joint Committee of the Houses, be taken into consideration."

Sir, this Bill was introduced in this House on 23rd December 1981 by my Ministry. Later on this Bill was referred to a Joint Select Committee of both the Houses consisting 45 Members—15 from Rajya Sabha and 30 from Lok Sabha. Sir, this Joint Select Committee has gone into this Bill in detail and they have made a number of recommendations.

The purpose of this Bill is to provide for the establishment of an All-India Veterinary Council, setting up of State Veterinary Councils in the States and Union territories, maintenance of registers of veterinary practitioners by these Councils, controlling and regulating the professional conduct of veterinary doctors, regulating standards of veterinary education, etc.

Sir, there are various reasons for which we have come before this House to pass this Bill and to empower the Government to appoint a Veterinary Council. At present, persons who are doing veterinary practice are not eligible to write prescriptions of certain medicines; also they are not empowered to give evidence in the court. And with the introduction of hybrid cattle in this country it has become necessary to attend to the diseases of the animals and therefore it has become necessary to pass this Bill and to empower us to appoint a Veterinary Council.

Sir, this Bill is based on the Indian Medical Council Act and the Bill is similar to that. Almost all the provisions of the Indian Medical Council Act are similar to the provisions of this Bill except one where we have allowed para-veterinary personnel to attend to certain diseases and minor ailments, to give vaccine, etc. Otherwise almost all the provisions of this Bill are similar to those of the Indian Medical Council Act and, as I said earlier, these have been thorouhgly scrutinised by the Joint Select Committee of both the Houses. The Committee have made a number of amendments which we have incorporated in the present Bill. Therefore, it is necessary to pass this Bill and empower us to appoint a Veterinary Council of India.

I would again request the honourable House to consider this Bill and pass it. Thank you.

The question was proposed.

श्री नरेन्द्र सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, यह बेटेरिनरी कौंसिल बिल बहुत अच्छा बिल है । ज्वाइंट सलेक्ट कमेटी के मेम्बर की हैसियत से मुझे और तमाम कमेटी के सदस्यों को पूरे देश का दौरा करने का अवसर मिला और तमाम बातें हमारी जानकारी में आई । मान्यवर, पहले इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जा रहा था । लेकिन जब हम लोगों ने, हमारे श्री पी० एन० सुकुल, इस कमेटी के चेयरमैन थे, 15 मेम्बर इस हाउस के और 30 मेम्बर उस हाउस के इस कमेटी में थे और इस कमेटी ने सारे देश में भ्रमण करने के बाद अपनी सिफारिशें सरकार को दी । मैं शुक्रगुजार हूं और बधाई देता हूं गवर्नमेन्ट को, कृषि मंत्रालय को, राव बीरेन्द्र सिंह को और मकवाणा साहब को, कि उन्होंने जो सिफारिशें कमेटी ने की थी उन तमाम सिफारिशों को मंजूर कह लिया । शिक्षा, जो पहले इस बिल में शामिल नहीं थी; उस शिक्षा को भी इस बिल की परिधि में शामिल कर लिया । यह बहुत अच्छी बात हुई और मैं यह समझता हूं कि इससे देश में जो तमाम पशु चिकित्सक मांग करते थे कि देश में एक ही तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, एक ही तरीके का सिलेबस होना चाहिए वह पूरी हो गई । उनकी इन मांगों को पूरा करना देश की एक बहुत बड़ी जरूरत थी । मान्यवर, एक बात पर जरूर विवाद रहा और जो सभी जगहों पर करीब-करीब सामने आया, उसको भी हमारी सरकार ने इस बिल में स्वीकार कर लिया और यह जो धारा 30 (बी), जिसमें जो लोग सर्विस में हैं, पैरा वेटेरिनरी स्टाफ, इन लोगों को भी अगर प्रदेश सरकारें चाहें तो उन को भी इजाजत दे सकती है । इससे जो एक बहुत बड़ा फोर्स है और जो फौर्स दरअसल गांव तक पहुंचता है, किसानों की मदद करता है, उस फोर्स को भी सेवा करने का अवसर मिल रहा है और उनसे भी गांव के लोगों की सेवा होगी ।

मान्यवर, यह विषय इसलिये भी और अधिक महत्वपूर्ण हो गया, दरअसल यह जो बिल है, इसे बहुत पहले आना चाहिए था । यह महत्वपूर्ण इस लिये मान्यवर और हो गया है कि कृषि के क्षेत्र में तो बहुत काम हो चुका है और कृषि के क्षेत्र में करीब करीब अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि उसके द्वारा लोगों को रोजगार मिलना असम्भव है । क्योंकि खेत कम हो रहे हैं और औसतन प्रति व्यक्ति खेत लोगों के पास कम हैं । लिहाजा अब अगर गांव के लोगों का विकास हो सकता है तो वह कैटल ब्रीडिंग के जरिये हो सकता है, पशुधन के विकास के जरिये हो सकता है । तमाम जगह यह देखने में आया है कि डेरी और कैटल ब्रीडिंग की तमाम इलाकों में तरक्की हुई है । इस बिल का सबके द्वारा स्वागत हुआ है और स्वागत होना चाहिए । इसमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी बातें अपने आप स्पष्ट हैं और आज की स्थिति में मैं यह बात कह सकता हूं कि यह बिल पूर्ण है और आगे आने वाले वक्त में अगर कोई बात आयेगी तो उसमें सुधार हो जायेगा । इस बारे में सरकार का दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, सरकार गांव के लोगों की तरक्की चाहती है और कटल ब्रीडिंग और डेरी का साइंटिफिक ढंग से विकास करना चाहती है। मान्यवर, यह बहुत अच्छा बिल है और मैं तहेदिल से इसका समर्थन करता हूं ।

श्री गुलाम रसूल कार (नाम-निर्देशित): डिप्टी चेयरमैन साहब, जहां तक इस बिल के मकसद और जरूरत का सवाल है मैं हुकूमत को धन्यवाद देता हूं कि हुकूमत इस बिल को लाई। जैसा इंसान के लिये मैडिकल कौंसिल की जरूरत है उसी तरह वेटेरिनरी साइंस के तौर पर आल इंडिया बेसिस पर इसकी तजवीज की गई है। सवाल यह है कि वेटेरिनरी साइंस को अरबन एरियाज में ही रखना है या जो रूरल एरियाज हैं वहां भी पहुंचाना है। यह बहुत बदकिस्मती मुल्क की है कि हमारी तजबीज ज्यादातर अरबन एरिया में ही रही है। इसलिये हमारी वेटेरिनरी कौंसिल और स्टेट की कौंसिलों को देखना है कि जो हम वेटेरिनरी डाक्टर पैदा करें उनको देहातों में भी ले जायें। अगर आप वेटेरिनरी डाक्टर अरबन एरिया में पैदा करते हैं तो लाजमी नतीजा है कि वह रूरल एरिया में नहीं जाता है जिन लोगों का ताल्लुक इस साइंस के साथ है वे रूरल एरिया में हैं। इस बिल को लाने के मकसद और मुक्तिलिफ हो सकते हैं लेकिन रा मेटीरियल खाम माल जो मुहैया हो सकता है डाक्टर का साइंस का या गाय पैदा करना, बैल पैदा करना वेटेरिनेरी साइंस में उसकी तरफ कम त्वज्जो दी जाती है। नतीजा यह होता है कि एक अच्छी चीज का मकसद मुद्दाफोत हो जाता है। लाजमी तौर पर यह बात बनती है। जहां तक वेटेरिनेरी साइंस का जो फैलाव हुआ है जो स्कूल और कालेज खुले हैं अगर आप हिन्दुस्तान के नक्शे पर नजर डालें तो वेटेरिनेरी कालेजेज ज्यादातर अरबन एरिया में हैं और उसका फायदा रूरल एरियाज में नहीं जाता है। दूध पैदा करने वाले, वेटरनेरी साइंस पैदा करने वाले देहातों में हैं उनको अपनी एक प्राचीन साइंस है हजारों साल से चली आ रही है, कैसे वे भेड़, बकरी, गाय और भैंस आदि पालते हैं, उनको यह सारी जानकारी विरसे में मिली हुई है, उनकी भी अपनी विरासत में मिली हुई यह साइंस है लेकिन जब हकूमत चलाने वाले इस बिल के मकसद को लाते हैं तो उनको इन लोगों की तरफ भी त्वज्जो देनी चाहिए। इस बिल का कैसे इस्तेमाल हो, डाक्टर का लाइसेंस किस को दें? जिन लोगों को यह साइंस विरासत में मिली है हजारों सालों से जब से दुनिया बनी है वजूद में आई है तब से वो मवेशियों का इलाज कर रहे हैं सिलेक्शन के वक्त उनको बिलकुल नजर अंदाज किया जाता है और एक दुकानदार, कारखानेदार के बेटे को सिलेक्ट कर के वेटेरिनेरी डाक्टर बना दिया जाता है। किसान के बेटे को, दूध पैदा करने वाले, बैल पालने वाले, भैंस पालने वाले को, घोड़े पालने वाले को, गधे पालने वाले को नजर-अंदाज किया जाता है। हर मसले में आप ले लीजिए, वेटेरिनेरी साइंस को आप ले लें बिलकुल इस साइंस को अरबन एरिया में ले जाने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि इसे रूरल एरियाज में फैलने दिया जाए। बेहतर है कि मुल्क की खिदमत के लिए दूध पैदा करने के लिए, माल मवेशियों को सही ढंग से पालने और साइंटिफिक ढंग से इलाज करने के लिए सेहतमंद बनाने के लिए इस साइंस को देहात में ले जाना चाहिए और देहात से लड़कों को डाक्टरों को पैदा करना चाहिये जिनके विरसे में हजारों सालों से यह साइंस है। लाजमी है कि इस साइंस के जमाने में रिसर्च में कुछ इजाफा हुआ है काफी हद तक हुआ है लेकिन जब आप जरसी गाय को लाते हैं तो यह कहते हैं कि यह दिल्ली में होनी चाहिये, जालंधर में रहनी चाहिये और गांव की बात कोई नहीं करता। टीपोग्राफीकल और ज्योग्राफिकल

[श्री गुलाम रसूल कार]

तथा आबो-हवा से अपने अपने अरबन एरियाज को फायदा पहुंचना चाहिये यह बात सामने रहती है। मैं इस बिल की पुरजोर ताईद करता हूं और साथ ही साथ हकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वेटेरिनेरी साइंस को अरबन एरियाज से शहरों से निकाल कर के देहातों में पहुंचाना चाहिये. फारफ्लंग एरियाज में पहुंचाना चाहिए।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, the only one point which the hon. Member has made is regarding the urban and the rural areas. Of course, veterinarians are working in the rural areas. As all colleges are situated in the urban areas, that does not mean that the training which is given and the education which is imparted in these colleges is only meant for the urban areas. That is not the case because all the veterinarians have to work in the villages because our cattle wealth is, throughout the country, in the rural areas, and in urban areas where some animals are kept by some people, for them they can work there also. So, there is nothing wrong if the colleges are situated in the urban areas. It does not bar the veterinarians to work in the rural areas.

Sir, I request the House to pass this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to regulate veterinary practice and to provide, for that purpose, for the establishment of a Veterinary Council of India and State Veterinary Councils and the maintenance of registers of the veterinary practitioners and for matters connected therewith, as reported by the Joint Committee of the Houses, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration.

Clauses 2 to 67, the First Schedule and the Second Schedule were added to the Bill.

Claues 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

श्री नरेन्द्र सिंह : मैं सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा। जो हमारे सम्मानित सदस्य ने पूछा था उसको मैं समझता हूं कि मतलब यह था कि जो वेटेरिनरी कालेजेज में एडमिशन्स हों उसमें शहर के लोगों के बजाय गांव के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस तरह का एश्योरेंस मैं सरकार से जरूर चाहूंगा क्योंकि जो शहर के लोग हैं वे गांवों में नहीं जाते हैं। लिहाजा जो गांव के लड़के हों उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यही मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : जब रिक्रूटमेंट का सवाल आता है तो एडमिशन के लिए जरूर उसको कंसीडर किया जा सकता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE EMPLOYEES' STATE INSURANCE (AMENDMENT) BILL, 1984

Now, we shall take up the Bill further to amend the Employees' State Insurance Act, 1948. Shri Veerendra Patil, please.

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL): Sir, I beg to move: